समाहरणालय, दरभंगा

(जिला परिवहन कार्यालय)

-: आदेश :-

सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–03/प्र0–बजट आवंटन (3055)–26/2018–53, दिनांक–10.12.2018 के द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना हेतु कुल–29300000/– (दो करोड़ तेरानवें लाख) रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त आवंटन को निम्न निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (प्रखण्ड विकास पदाधिकारी) को उनके नाम के सामने कॉलम–03, 04 एवं 05 में अंकित राशि को संबंधित शीर्ष में उपावंटित किया जाता है :–

क्र0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	मुख्य शीर्ष 3055 सड़क परिवहन–उप मुख्य शीर्ष –00– लघु शीर्ष –199– अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता – उप शीर्ष –0101– मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, विपत्र कोड–47–3055001990101 विषय शीर्ष–0101.33.01. सब्सिडी	मुख्य शीर्ष 3055 सड़क परिवहन–उप मुख्य शीर्ष –00– लघु शीर्ष –789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – उप शीर्ष –0101– मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, विपत्र कोड–47–3055007890101 विषय शीर्ष–0101.33.01. सब्सिडी	मुख्य शीर्ष 3055 सड़क परिवहन–उप मुख्य शीर्ष –00– लघु शीर्ष –796– जनजातिय क्षेत्र उप योजना – उप शीर्ष –0101– मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, विपत्र कोड–47–3055007960101 विषय शीर्ष–0101.33.01. सब्सिडी	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अलीनगर	600000.00	1100000.00	100000.00	1800000.00
2.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेनीपुर	100000.00	800000.00	0.00	900000.00
3.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बहादुरपुर	200000.00	700000.00	100000.00	1000000.00
4.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बहेड़ी	300000.00	600000.00	0.00	900000.00
5.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिरौल	300000.00	200000.00	0.00	500000.00
6.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दरभंगा सदर	1200000.00	1200000.00	0.00	2400000.00
	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गौड़ा बौराम	1200000.00	2100000.00	100000.00	3400000.00
	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, घनश्यामपुर	1400000.00	1700000.00	0.00	3100000.00
	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हनुमाननगर	500000.00	1000000.00	0.00	1500000.00
	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जाले	1000000.00	1900000.00	100000.00	3000000.00
	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान पूर्वी	400000.00	300000.00	0.00	700000.00
	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, केवटी	600000.00	900000.00	0.00	1500000.00
	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान	1700000.00	2200000.00	100000.00	4000000.00
	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनीगाछी	1100000.00	800000.00	0.00	1900000.00
	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिंहवाड़ा	300000.00	1000000.00	0.00	1300000.00
	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तारडीह	600000.00	800000.00	0.00	1400000.00
	कुल योग :–	11500000.00	17300000.00	500000.00	29300000.00

उपावंटित राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561, दिनांक–17.04.1998 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जाय।

उपावंटित राशि की निकासी स्वीकृत्यादेश संख्या–410, दिनांक–10.12.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जाय। (छायाप्रति संलग्न)

उपावंटित राशि की निकासी वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

उपावंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जॉच पड़ताल के बाद ही किया जाय, यदि कोई छदम्पूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पुरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

उपावंटित राशि की निकासी कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक ईकाई आदि का स्पष्ट मुहर, ईकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें। ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

उपावंटित राशि की निकासी लाभुकों को आवंटित राशि का भुगतान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा विभागीय अधिसूचना सं0–823, दिनांक–05.09.2018 के आलोक में पूरी छान–बीन एवं आवश्यक जाँच के बाद ही किया जायेगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जायेगा की कोई भी छद्मपूर्ण या अनियमित भुगतान नहीं हो। अनुदान की राशि लाभुक के खाते में अंतरित करने के पूर्व लाभुक से चयनित वाहन का निबंधन पुस्त, बीमा से संबंधित कागजात एवं विक्रय पत्र प्राप्त किये जायेंगे। यदि वाहन खरीदने हेतु किसी वित्त पोषण संस्था से ऋण लिया गया हो तो इस आशय का स्वघोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि अनुदान की राशि का उपयोग वित्त पोषण करने वाली संस्था के ऋण भुगतान में किया जायेगा।

उपावंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी।

उपावंटित राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय, तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाय। अन्यथा किये गये भुगतान की सारी जबाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

उपावंटित राशि का उपयोग होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाय। राशि की निकासी से संबंधित टी0भी0नं0–तिथि एवं कोषागार के नाम सहित विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञापांक– 997 /परि0 लहेरियासराय, दिनांक 14 वीं दिसम्बर, 2018।

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, दरभंगा जिला (हायाघाट एवं किरतपुर को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा/बेनीपुर/बिरौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/बेनीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त उपावंटन आदेश को जिला के बेवसाईट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपि : विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–03/प्र0–बजट आवंटन (3055)–26/2018–53, दिनांक–10.12.2018 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

11/12/18

जिलाधिकारी,
दरभंगा।